प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 22.08.2026

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा फर्जी नम्बर प्लेट लगी चोरी की 01 मोटरसाइकिल के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 21.08.2026 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त 1.रिहान पुत्र सगीर निवासी मलिकनगर थाना मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 23 वर्ष 2.फैजान उर्फ दीवानी पुत्र फम्मे निवासी मलिकनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 22 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से गौर सिटी थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर से चोरी की गई एक मोटरसाइकिल बरामद हुयी। उपरोक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना मुरादनगर पर सुसंगत धारा- 345(3),317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि यह बाइक हम दोनों ने गौर सिटी थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर से चोरी की थी। इस बाइक से हम लूट, चोरी आदि की घटना को अंजाम देते है। हम दोनों पहले भी कई बार चोरी और लूट के मुकदमों में जेल जा चुके हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1.रिहान पुत्र सगीर निवासी मलिकनगर थाना मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 23 वर्ष
2.फैजान उर्फ दीवानी पुत्र फम्मे निवासी मलिकनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 22 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से फर्जी नम्बर प्लेट लगी चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

1.अभियुक्त रिहान उपरोक्त के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर उपरोक्त चोरी की मोटरसाइकिल बरामदगी के सम्बन्ध में 01 अभियोग व पूर्व में 03 लूट, 01 पुलिस मुठभेड व 01 गैंगस्टर एक्ट का तथा 01 अभियोग उपरोक्त मोटरसाइकिल चोरी का थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर पर **(कुल 07)** अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

2.अभियुक्त फैजान उर्फ दीवानी उपरोक्त के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर उपरोक्त चोरी की मोटरसाइकिल बरामदगी के सम्बन्ध में 01 अभियोग व पूर्व में 01 लूट का अभियोग पंजीकृत है। 01 अभियोग उपरोक्त मोटरसाइकिल चोरी का थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर पर **(कुल 03)** अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान चोरी की स्कूटी के साथ अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 04.08.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि वादी की स्कूटी चोरी हो जाना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर सुसंगत धारा-303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी व चोरी की स्कूटी की बरामदगी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 22.08.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान स्कूटी चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त समद पुत्र आविद निवासी पुराना मुस्तफाबाद थाना दयालपुर दिल्ली, उम्र करीब 19 वर्ष को पाइप लाइन चौक के पास थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से चोरी की 01 स्कूटी बरामद हुई । बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा- 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी है । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण–

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मेरे पास से जो स्कूटी बरामद हुई है ये स्कूटी चोरी की है जिसे मैंने अमित बिहार में स्विमिंग पूल के पास थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से चोरी की थी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

समद पुत्र आविद निवासी पुराना मुस्तफाबाद थाना दयालपुर दिल्ली, उम्र करीब 19 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण -

कब्जे से चोरी की 01 स्कूटी बरामद ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त स्कूटी चोरी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम ।

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा हत्या की घटना कारित करने वाले 04 अभियुक्तगण गिरफ्तार ।

दिनांक 20.08.2026 को थाना अंकुर विहार पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण 1.सपन कुमार 2. सपन कुमार की पत्नी गुंजन 3. सपन कुमार की माँ रेखा 4. सपन कुमार की मौसी किरण के द्वारा षडयंत्र कर सपन कुमार द्वारा वादिया के पुत्र सोनू पर घात लगाकर घातक हथियार से हमला कर जातिसूचक गाली देते हुये मारपीट कर गम्भीर रुप से घायल कर देना जिसकी दौराने इलाज मृत्यु हो जाना । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अंकुर विहार पर तत्काल सुसंगत धारा-103(1)/352/351(3)/61(2) बीएनएस व 3(2)(V) एससी/ एसटी अधि0 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया ।

तत्पश्चात आज दिनांक 22.08.2026 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज, मैनुअल इनपुट व मुखबिर की मदद से हत्या की घटना का अल्प समय में सफल अनावरण करते हुये घटना कारित करने वाले 04 अभियुक्तगण 1.सपन सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी गंगा विहार लक्ष्मी एन्क्लेव थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 30 वर्ष 2. किरन सिंह पत्नी अवध बिहारी निवासी मौहल्ला राजरुपुर थाना धूमनगंज प्रयागराज, उम्र करीब 45 वर्ष 3. रेखा सिंह पत्नी महेन्द्र सिंह निवासी गंगा विहार लक्ष्मी एन्क्लेव थाना अंकुर विहार गाजियाबाद मूल पता पं0 दीनदयाल रेलवे स्टेशन के पास जनपद चंदौली, उम्र करीब 60 वर्ष 4. गुंजन पत्नी सपन निवासी गंगा विहार लक्ष्मी एन्क्लेव थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 26 वर्ष को सभापुर अण्डरपास के पास थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि मृतक सोनू पहले हमारे पडोस में रहता था । सोनू के साथ एक प्लाट पर मीटर लगाने को लेकर हम लोगों के साथ विवाद होता रहता था । दिनांक 19.08.2026 को जब सोनू दुकान पर

सामान लेने के लिए जा रहा था तो हम लोग पूर्व से वहीं पर छिपे हुए थे और हम लोगों ने षडयन्त्र रचकर उसके साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की थी और उसे मरा हुआ समझकर हम लोग वहां से भाग गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता का नाम व पता-

1.सपन सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी गंगा विहार लक्ष्मी एन्क्लेव थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 30 वर्ष।

2. किरन सिंह पत्नी अवध बिहारी निवासी मौहल्ला राजरुपुर थाना धूमनगंज प्रयागराज, उम्र करीब 45 वर्ष।

3. रेखा सिंह पत्नी महेन्द्र सिंह निवासी गंगा विहार लक्ष्मी एन्क्लेव थाना अंकुर विहार गाजियाबाद मूल पता पं0 दीनदयाल रेलवे स्टेशन के पास जनपद चंदौली, उम्र करीब 60 वर्ष

4. गुंजन पत्नी सपन निवासी गंगा विहार लक्ष्मी एन्क्लेव थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 26 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त घटना कारित करने के सम्बन्ध में थाना अंकुर विहार पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से पीली धातु का टुकड़ा/ आभूषण लगभग 85 ग्राम तथा सफेद धातु के आभूषण लगभग 1100 ग्राम व 65,870 रू0 नगद बरामद।

घटना का विवरणः- दिनांक 27.07.2026 को वादी लल्लू सिंह मौर्य पुत्र स्व0 श्री जगराम सिंह निवासी जे 57 गोविन्दपुरम थाना कविनगर ने अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर का ताला तोडकर घर के अन्दर से सोने व चाँदी के आभूषण व नकदी चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना कविनगर पर तहरीर दी। उक्त घटना को संज्ञान में लेते हुए तत्काल थाना कविनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरणः-घटना के अनावरण हेतु टीमें गठित की गयी। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों व लोकल इनपुट की मदद से मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना कविनगर पुलिस टींम द्वारा दिनांक 22.08.2026 को अभियुक्त विशाल पुत्र हेमराज सिंह हाल निवासी जे-57 गोविन्दपुरम थाना थाना कविनगर गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम आबिदनगर उर्फ धुन्धली थाना स्यौहारा जनपद बिजनौर उम्र करीब 29 वर्ष को गोविन्दपुरम बस अड्डे के पास चौकी गोविन्दपुरम थाना कविनगर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किये गये अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही तत्परता से सुनिश्चित की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्त विशाल उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि यह सोने व चांदी का सामान तथा नगदी मैंने अपने मकान मालिक के घर से लगभग 01 माह पहले उनके कमरों के तालों को काटकर तथा अलमारी के लॉकर को काटकर उसमें से चोरी किया था, जिसमे से मैंने कुछ पीली धातु के आभूषणों को पिघलाकर टुकड़ा बना लिया था बाकि सोने व चांदी के आभूषण मेरे पास बरामद हो गये हैं। मैंने यह चोरी पैसों की कमी व मुझे ऑनलाइन एवियेटर गेम खेलने का शौक लग गया था, मैनें एवियेटर गेम खेलते हुए शुरू में 15 हजार रुपये जीतें उसके बाद धीरे धीरे मैं यह गेम खेलता गया और मुझ पर लगभग 09 लाख रुपये का कर्ज हो गया। कर्जे के चलते पहले मेरे मन में आत्महत्या करने का विचार आया किन्तु मैं आत्महत्या करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तदपश्चात मेरे मन में चोरी करने का विचार आया। मैं इनके मकान मे काफी समय से किराये पर रह रहा था मुझे पता था कि इन्होंने ज्वैलरी व नकदी कहाँ रख रखा है। मुझे यह भी जानकारी थी कि ये दिनांक 24/25.07.2026 को बरेली जायेंगे। इसलिए मैने दिनांक 24.07.2026 की रात्रि में मौका पाकर इनके घर का ताला व अलमारी का लॉकर कटर से काट कर अलमारी से आभूषण व नकदी चोरी कर लिये थे। आज इनको बेचने के लिये निकला था कि आपने पकड़ लिया।

अभियुक्त का नाम पता- विशाल कुंमार पुत्र हेमराज सिंह हाल निवासी जे - 57 गोविन्दपुरम थाना कविनगर, गाजियाबाद व मूल निवासी ग्राम आबिदनगर उर्फ धुन्धली थाना स्यौहारा, बिजनौर उम्र करीब 29 वर्ष

बरामदगी

- पीली धातु का टुकड़ा व आभूषण लगभग 85 ग्राम कुल कीमत लगभग 12,50,000/- रूपये
- सफेद धातु के आभूषण लगभग 1100 ग्राम कुल कीमल लगभग 2,32,000/- रूपये
- 65,870/- रू नगद

(बरादम आभूषणों की कुल कीमत लगभग 14,82,000/- रु0 + 65,870 रूपये नगद = कुल 15,47,870/-)

गिरफ्तार करने वाले टीमः-

थाना कविनगर पुलिस टीम जनपद गाजियाबाद

थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा पत्नी एवं पुत्री की हत्या की घटना में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, निशादेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल छुरी बरामद ।

कार्यवाही का विवरणः-दिनांक 22.08.2026 को थाना खोड़ा पर वादिया द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि उसके पिता द्वारा उसकी मां श्रीमती बेबी तबस्सुम एवं उसकी बड़ी बहन सना तबस्सुम की चाकू से वार कर हत्या कर दी गई है तथा वादिया के ऊपर भी जान से मारने की नीयत से चाकू से वार किया गया, जिससे वह घायल हो गई। उक्त सूचना पर तत्काल थाना खोड़ा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए धारा 103(1)/109(1) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घायल पीड़िता को तत्काल उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इनपुट एवं सर्विलांस की सहायता से लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में दिनांक 22.08.2026 को थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त **मौहम्मद राजा अन्सारी पुत्र नसीम अन्सारी निवासी गली नं0-3 लोकप्रिय विहार थाना खोड़ा गाजियाबाद उम्र करीब 48 वर्ष** को इन्दिरापुरम अण्डरपास के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त **आलाकत्ल छुरी** बरामद की गई। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गई है। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-गिरफ्तार अभियुक्त मौहम्मद राजा अन्सारी ने पूछताछ में बताया कि वह वर्ष 2002 से मछली मंडी गाजीपुर, दिल्ली में श्री हाजी इस्माईल की मछली की दुकान पर मुंशी का काम करता है तथा वर्तमान में उसे करीब 34,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है। अभियुक्त ने बताया कि वह अपनी पत्नी बेबी तबस्सुम उम्र करीब 43 वर्ष, बड़ी बेटी सना तबस्सुम उम्र करीब 15 वर्ष तथा छोटी बेटी रुबी तबस्सुम उर्फ जोया उम्र करीब 14 वर्ष के साथ गली नं0-3 लोकप्रिय विहार, खोड़ा कॉलोनी गाजियाबाद स्थित फ्लैट में करीब तीन वर्षों से रह रहा था। अभियुक्त के अनुसार उसकी पत्नी द्वारा छोटी-छोटी बातों को लेकर आए दिन विवाद एवं क्लेश किया जाता था, जिससे वह परेशान रहता था। इसी कारण उसने पत्नी एवं दोनों पुत्रियों की हत्या कर स्वयं जेल जाने की योजना बनाई। अभियुक्त ने बताया कि दिनांक 21/22.08.2026 की मध्य रात्रि करीब 12.30 बजे जब उसकी पत्नी को हल्की नींद आई थी, तब उसने बेड के गद्दे के नीचे छिपाकर रखी छुरी निकालकर उसकी गर्दन पर वार किया। शोर सुनकर दोनों पुत्रियां कमरे में आ गईं। अभियुक्त ने अपनी पत्नी पर पुनः चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद बड़ी पुत्री सना तबस्सुम भागकर बालकनी के कोने में छिप गई, जिसे अभियुक्त ने पकड़कर उसकी गर्दन पर चाकू से वार कर हत्या कर दी। इसके बाद अभियुक्त ने छोटी पुत्री रुबी तबस्सुम उर्फ जोया को भी मारने का प्रयास किया तथा उस पर

चाकू से वार किया, लेकिन वह वहां से बचकर नीचे भाग गई। अभियुक्त भी चाकू लेकर उसके पीछे गया, लेकिन वह उसके हाथ नहीं लगी। इसके बाद अभियुक्त ने घटना में प्रयुक्त छुरी को इन्दिरापुरम अण्डरपास के पास खाली मैदान में छिपा दिया और वहां से फरार होकर छिपता हुआ घूम रहा था। अभियुक्त की निशानदेही पर उक्त छुरी बरामद कर ली गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

- **मौहम्मद राजा अन्सारी** पुत्र नसीम अन्सारी निवासी गली नं0-3 लोकप्रिय विहार थाना खोड़ा गाजियाबाद, उम्र करीब 48 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

- घटना में प्रयुक्त **आलाकत्ल छुरी** बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना खोड़ा पर उक्त घटना के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना खोड़ा पुलिस टीम ।